न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

सिंघिया थाना काण्ड सं0 138/20, कम्पयूटर निबंधन सं0 899/20

22.9.20 आवेदक बिछनी देवी, जो अभियुक्त लीला कुमार यादव उर्फ लीला यादव की मॉ है, की ओर से एक आवेदन ऑनलाईन, इस आशय का दाखिल किया गया, कि उसके पुत्र लीला कुमार यादव उर्फ लीला यादव का जन्म तिथि 1.1.2003 है जो प्रस्तुत वाद की घटना तिथि को अवयस्क था। अतः उसका वाद किशोर न्यायालय,समस्तीपुर में भेजने की कृपा की जाए। आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,पटना द्वारा निर्गत अंक पत्रंक की प्रति दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार नं0 2 एवं विद्वान वि0 लोक अभि0 श्री अरूण कुमार सिन्हा को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद की घटना तिथि 7.9.20 है, जबकि आवेदक की ओर से दाखिल प्रमाण–पत्र के अनुसार अभियुक्त लीला कुमार यादव उर्फ लीला यादव की जन्म तिथि 1.1.2003 है। इस प्रकार उसकी उम्र घटना तिथि को 18 वर्ष से कम था। अतः कार्यालय लिपिक अभियुक्त का वाद पृथक करते हुए उसकी उम्र की जॉच एवं विचारण हेतु किशोर न्यायालय,समस्तीपुर भेजे।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद